अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

84. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 26क का अंतःस्थापन।

'26क. (1) जहां किसी माल के आयात पर, जो ऐसे आयातित माल के रूप में आसानी से पहचान योग्य है, घरेलू उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी पर किसी शुल्क का संदाय किया गया है, यदि,— कतिपय मामलों में आयात शुल्क का प्रतिदाय।

(क) माल दोषपूर्ण पाया जाता है या अन्यथा माल के निर्यातकर्ता और प्रदायकर्ता के बीच करार किए गए विनिर्देशों के अनुसार नहीं पाया जाता है :

परंतु माल आयात के पश्चात् तैयार, नहीं किया गया है, उसकी मरम्मत नहीं की गई है या उसका उपयोग नहीं किया गया है सिवाय वहां के जहां ऐसा उपयोग दोषों या विनिर्देशों के अनुरूप न होने का पता लगाने के लिए अनिवार्य था ;

(ख) माल की, सीमाशुल्क सहायक आयुक्त या सीमाशुल्क उपायुक्त के, समाधानप्रद रूप में, ऐसे माल के रूप में पहचान की गई है, जो आयात किया गया था ;

(ग) आयातकर्ता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अधीन वापसी का दावा नहीं करता है ; और

(घ) (i) माल का निर्यात किया गया है ; या

(ii) आयातकर्ता माल के अपने हक का परित्याग करता है और उसे सीमाशुल्क के अधिकार में छोड़ देता है ; या

(iii) ऐसे माल को समुचित अधिकारी की उपस्थिति में, नष्ट कर दिया है या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बना दिया गया है,

वहां, उस तारीख से, जिसको समुचित अधिकारी धारा 47 के अधीन घरेलू उपभोग के लिए आयातित माल की निकासी का आदेश करता है, तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसा शुल्क, उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उसका संदाय किया गया था, प्रतिदत्त किया जाएगा।

परंतु तीस दिन की अवधि को पर्याप्त कारण दर्शित करने पर सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात ऐसे माल को लागू नहीं होगी, जिसके संबंध में इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है।

(2) ऐसे शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन सुसंगत तारीख से छह मास की समाप्ति से पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) ऐसे मामलों में जहां माल भारत से बाहर निर्यात किया जाता है वह तारीख, जिसको समुचित अधिकारी धारा 51 के अधीन आयात के लिए माल की निकासी और लदाई की अनुमति देने वाला आदेश करता है ;

(ख) ऐसे मामलों में जहां, माल के हक का परित्याग किया जाता है, वहां ऐसे परित्याग की तारीख ;

(ग) ऐसे मामले में जहां माल को नष्ट किया जाता है या वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बनाया जाता है वहां माल को ऐसे नष्ट करने या वाणिज्यिक रूप से मूल्यहीन बनाने की तारीख ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय नाशवान माल और ऐसे माल के संबंध में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसकी अवधि शेल्फ लाइफ या सिफारिश की गई उपयोग-पूर्व-भंडारण अवधि से अधिक हो गई है ।

(4) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी अन्य शर्त विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय अनुज्ञात किया जा सकेगा ।'।

धारा 28च का संशोधन।

85. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28च की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं उस तारीख से अंतःस्थापित की जाएंगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, अर्थात् :—

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित किसी प्राधिकरण को, इस अध्याय के अधीन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी । 1961 का 43

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण इस अध्याय के अधीन अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2ग) उपधारा (2क) के प्रयोजनों के लिए धारा 245ण की उपधारा (2) के खंड (ख) में "भारतीय राजस्व सेवा के किसी अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा के किसी ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है" के प्रति निर्देश है ।

(2घ) उपधारा (2क) के अधीन प्राधिकरण के प्राधिकार की तारीख से ही, उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण के समक्ष लंबित प्रत्येक आवेदन और कार्यवाही उस प्रक्रम से जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे प्राधिकार की तारीख से पूर्व थीं इस प्रकार प्राधिकृत प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगी ।'।

धारा 130 का संशोधन।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उच्च न्यायालय उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील फाइल न करने का पर्याप्त कारण था, किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा।"।

धारा 130क का संशोधन।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 130क की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जुलाई, 1999 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(3क) उच्च न्यायालय उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि की समाप्ति के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर आवेदन या प्रतिआक्षेप फाइल न करने का पर्याप्त कारण था, किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा या प्रतिआक्षेपों के ज्ञापन को फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा ।"।

धारा 137 का संशोधन।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में,—

(i) "ऐसी प्रशमन रकम" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी प्रशमन रकम और प्रशमन की ऐसी रीति में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(क) ऐसे व्यक्ति को, जिसे धारा 135 और धारा 135क के अधीन किसी अपराध की बाबत एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसा अपराध करने का अभियुक्त रहा है जो निम्नलिखित किसी अधिनियम के अधीन भी अपराध है, अर्थात् :—

1985 का 61 (i) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 ;

2000 का 34 (ii) रासायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 ;

1959 का 54 (iii) आयुध अधिनियम, 1959 ;

1972 का 53 (iv) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ;

(ग) ऐसे व्यक्ति को, जो निम्नलिखित किसी के अंतर्गत आने वाले माल की तस्करी में संलिप्त है, अर्थात् :—

1992 का 22 (i) ऐसे माल, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन जारी की गई, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति की आयात और निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 (निर्यात नीति) के परिशिष्ट 3 में विशेष रसायनों, अंगों, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकी की सूची में विनिर्दिष्ट ;

1992 का 22 (ii) ऐसे माल, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के अधीन जारी की गई, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति की आयात और निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में आयात और निर्यात के लिए प्रतिषिद्ध मदों के रूप में विनिर्दिष्ट हैं ;

(iii) ऐसे कोई अन्य माल या दस्तावेज, जिनसे किसी विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है या जो राष्ट्रीय सम्मान के लिए अनादर सूचक हैं ;

(घ) ऐसे व्यक्ति को, जिसे एक करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के माल की बाबत किसी अपराध के लिए इस अध्याय के अधीन एक बार प्रशमन के लिए अनुज्ञात किया गया है ;

(ङ) ऐसे व्यक्ति को, जिसे 30 दिसंबर, 2005 को या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया गया है ।" ।

धारा 156 का संशोधन।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ज) में, "संदत्त की जाने वाली रकम", शब्दों के स्थान पर, "संदत्त की जाने वाली रकम और प्रशमन की रीति", शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 157 का संशोधन।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कi) धारा 26क की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन माल के निर्यात, उसके संबंध में हक का परित्याग करने और सीमाशुल्क अधिकारी के पास उसे छोड़ने और समुचित अधिकारी की उपस्थिति में माल को नष्ट करने या उसे वाणिज्यिक रूप से मूल्यविहीन बनाने की रीति ;

(कii) धारा 26क की उपधारा (2) के अधीन शुल्क के प्रतिदाय के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;"।

धारा 4 के अधीन नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

91. (1) राजपत्र में सा0का0नि0 173 (अ), तारीख 17 मार्च, 2009 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 27/2009-सीमाशुल्क (एन0टी0), को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन की गई सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से 9 मई, 2000 से ही प्रवृत्त समझा जाएगा और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव प्रवृत्त रहा समझा जाएगा, तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए गए सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा, 9 मई, 2000 से 16 मार्च, 2009 तक की गई कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के बारे में इस प्रकार की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ;

(ख) कोई वाद या अन्य कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध, 9 मई, 2000 से 16 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारी के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सद्भावपूर्वक की गई किसी कार्रवाई या किसी बात के लिए, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष इस प्रकार संस्थित नहीं की जाएंगी, चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी मानो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के संबंध में की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ;

(ग) 9 मई, 2000 से 16 मार्च, 2009 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए गए सीमाशुल्क अधिकारियों के, आदेश या निदेश द्वारा या उसके अधीन शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की किसी रकम की, की गई वसूली विधिमान्य समझी जाएगी और सभी प्रयोजनों के लिए सदैव इस प्रकार विधिमान्य रूप में और प्रभावी रूप में की गई समझी जाएगी, मानो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिकारिता के क्षेत्र के संबंध में की गई नियुक्ति सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसको सदैव ऐसी शक्ति थी मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तन में लाने की सभी शक्तियां सभी तात्विक समयों पर थीं ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उक्त अधिसूचना भूतलक्षी रूप से प्रवर्तन में नहीं आई होती।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

92. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 260(अ), तारीख 1 मई, 2006, दूसरी अनुसूची के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और उस अनुसूची के स्तंभ (4) में वर्णित तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई कोई कार्रवाई या की गई कोई बात या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात, सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थी ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति होगी और शक्ति होना समझा जाएगा मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर थी ।

(3) उस रकम की वसूली की जाएगी, जिसका संदाय नहीं किया गया है किंतु उसका तब संदाय किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुआ होता ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप, अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो उस समय दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं होती ।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 3 का संशोधन।

93. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— 1975 का 51

"परंतु यह और कि भारत में आयात की गई वस्तु की दशा में, जहां केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन भारत में उत्पादित या विनिर्मित उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए टैरिफ मूल्य नियत किया है वहां आयात की गई वस्तु के मूल्य को ऐसा टैरिफ मूल्य समझा जाएगा ।" । 1944 का 1

धारा 8ख का संशोधन।

94. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 14 मई, 1997 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम जिसके अंतर्गत शुल्क की दर, निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।" । 1962 का 52

1975 के अधिनियम 51 की धारा 8ख के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

95. सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या 14 मई, 1997 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे नियम या विनियम के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना या आदेश किए जाने या किए जाने से लोप किए जाने या उसके लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 94 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई कोई कार्रवाई या बात इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई ऐसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ग) शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई है या जिन्हें प्रतिदत्त नहीं किया गया है इस प्रकार वसूली की जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

धारा 8ग का संशोधन।

96. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ग की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 11 मई, 2002 से ही अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(5क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम जिसके अंतर्गत शुल्क की दर, निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।" । 1962 का 52

1975 के अधिनियम 51 की धारा 8ग के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

97. सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या 11 मई, 2002 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय या ऐसे नियम या विनियम के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना या आदेश की गई या किए जाने से लोप की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 96 द्वारा सीमशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ग में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई कोई कार्रवाई विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई ऐसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा इस प्रकार प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ; और

(ग) शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिन्हें प्रतिदत्त नहीं किया गया है, इस प्रकार वसूली की जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

धारा 9 का संशोधन।

98. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (7क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जनवरी, 1995 से ही रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

1962 का 52

"(7क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जिसके अंतर्गत शुल्क की दर, निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।" ।

1975 के अधिनियम 51 की धारा 9 के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

99. सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय की गई या किए जाने से लोप की गई या उसके लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 98 द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई कोई कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई ऐसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ग) शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिन्हें प्रतिदत्त नहीं किया गया है इस प्रकार वसूली की जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में थे ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

धारा 9क का संशोधन।

100. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में,—

(i) उपधारा (1) में, "किसी वस्तु का आयात किया जाता है" शब्दों के स्थान पर, "निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्यात किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) उपधारा (6) के अधीन जांच के अधीन किसी निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा निर्यात की गई वस्तु के संबंध में पाटन का मार्जन, ऐसे निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा रखे गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत से संबंधित अभिलेखों और उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार अवधारित किया जाएगा :

परंतु जहां ऐसा निर्यातकर्ता या उत्पादक ऐसे अभिलेखों या जानकारी को प्रदान करने में असफल रहता है वहां ऐसे निर्यातकर्ता या उत्पादक द्वारा पाटन का मार्जन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवधारित किया जाएगा ।" ;

(iii) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जनवरी, 1995 से ही सदैव रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

1962 का 52

"(8) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम जिसके अंतर्गत शुल्क की दर, निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख

से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।" ।

1975 के अधिनियम 51 की धारा 9क के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों का विधिमान्यकरण।

101. सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन बनाए गए या जारी किए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन या 1 जनवरी, 1995 से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय ऐसे नियम या विनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या किए गए आदेश के अधीन की गई या किए जाने से लोप की गई या उसके लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या कोई बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 की धारा 100 के खंड (iii) द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क में किए गए संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त थे और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत उक्त अवधि के दौरान की गई या किए जाने से लोप की गई कोई कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से की गई या लोप की गई समझी जाएगी और सदैव समझी जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ख) ऐसे किसी नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चालू या जारी नहीं रखी जाएंगी और की गई ऐसी कार्रवाई या बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश का किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ;

(ग) शुल्क या ब्याज या शास्ति या जुर्माने या अन्य प्रभारों की ऐसी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या जिन्हें प्रतिदत्त नहीं किया गया है, इस प्रकार वसूली की जाएगी मानो उक्त धारा द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में था ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से की गई ऐसी कोई कार्रवाई या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

पहली अनुसूची का संशोधन।

102. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ।